

217

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर खंडपीठ जबलपुर म.प्र.

1. श्रीमति शिरोमणी पत्नि सत्यनारायण चौबे निग 2899-I-16
2. पार्वतीबाई पत्नि दौलत धानक
3. संतोष आ. सुरेश झारिया
4. नरेश सोनी आ. धरमचंद सोनी
5. प्रहलाद आ. बाबूलाल धानक
6. श्रीमति जलसाबाई पति सुखराम धानक
7. चंदन आ. सरदार धानक
8. ब्रजलाल आ. छोटेलाल नोरिया
9. दम्पू आ. नंदराम धानक
10. पन्नालाल आ. दयाराम धानक
11. गौतम सिंह आ. बसोरीलाल धानक
12. श्रीमति गुडडीबाई पति सुशील लोधी
13. परमसुख आ. गोरेलाल बसोर

सभी निवासी-बरमानकला, तहसील करेली जिला नरसिंहपुर निगरानीकर्तागण

बनाम

त्रिभुवन पालीवाल आ. किशोरीलाल पालीवाल
निवासी-ग्राम-चावरपाठा, तहसील तेदूखेडा जिला नरसिंहपुर उत्तरवादी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रां.सं. 1959

उक्त निगरानी ^{उत्तरवादी} उत्तरवादी के आवेदन पर रा.नि.मं. बरमान के रा.नि. के द्वारा किये गये सीमांकन दिनांक 13.04.2016 से पीड़ित होकर अनेक आधारों पर प्रस्तुत करते हैं :-

प्रकरण के तथ्य

- 1 यह कि उत्तरवादी त्रिभुवन पालीवाल के आवेदन पर रा.नि. बरमान प.ह. नं. 16, के द्वारा मौजा बरमान कला, न.बं. 377, प.ह.नं. 16 स्थित भूमि ख.नं. 11/1-2, 12, 16/3, 16/5, रकवा क्रमशः 0.586, 0.368, 0.809, 0.484, कुल रकवा 2.244 है. भूमि का सीमांकन म.प्र.रा.पत्र भोपाल दिनांक 23.12.2010 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत आवेदन पत्र गृहित कर दिनांक 13.04.2016 को किये गये सीमांकन से पीड़ित होकर अनेक आधारों पर प्रस्तुत की है।

निगरानी के आधार


- 2 यह कि रा.नि. बरमान के द्वारा मौजा बरमान कला प.ह.नं. 16, नं.ब. 377, स्थित भूमि ख.नं. 11/1-2, रकवा 0.586 है. एवं ख.नं. 12 रकवा 0.368 है., ख.नं. 16/3 रकवा 0.809 है. एवं ख.नं. 16/5 रकवा 0.484 है. कुल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2899-एक/16

जिला - नरसिंहपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/02/2019	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को अनुविभागीय अधिकारी तह. बरमान जिला नरसिंहपुर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p><u>अनुविभागीय अधिकारी बरमान</u></p>	